कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

सत्यमेव जयते

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110 002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110 002
Tel. : 011-23604740
Website : www.esic.gov.in

रत्नेश कुमार गौतम
बीमा आयुक्त(राजभाषा)

अ.शा. पत्र सं.: ए-49/18/1/2024-रा.भा.
दिनांक: 29.4.2025

महोदय/ महोदया,

राजभाषा संकल्प 1968 के अनुपालन में भारत सरकार का राजभाषा विभाग राजभाषा हिंदी के प्रसार और विकास की गति को बढ़ाने के लिए तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों में इसके प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। वर्ष 2025-26 का वार्षिक कार्यक्रम इसी क्रम में जारी किया गया है। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपेक्षित प्रयत्न किए जाने हैं। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का यह संवैधानिक दायित्व है कि वे राजकीय कार्य हिंदी में करें जिससे लक्ष्य प्राप्ति संभव हो पाए।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2025-26 हेतु वार्षिक कार्यक्रम की प्रति इसके साथ संलग्न है।

स्पष्ट है कि सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रत्येक इकाई के प्रशासनिक प्रधान की है। अतः निवेदन है कि राजभाषा संबंधी आदेशों का निष्ठा से अनुपालन कराएं। वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप हर संभव प्रयास करें और अपनी इकाई की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की आगामी तिमाही बैठकों की कार्यसूची की प्रमुख मद के रूप में इसे सम्मिलित करें तथा प्रत्येक बैठक में इसकी समीक्षा करते हुए कहीं कोई कमी या चूक पाए जाने की स्थिति में उसे दूर करने का प्रयास करें।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति सूचना भेजें।

शुभकामनाओं सहित,

रत्नेश कुमार गौतम

(रत्नेश कुमार गौतम)

सभी क.रा.बी. निगम इकाई प्रमुख

प्रति :

1. मुख्यालय के सभी शाखा अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि वे अपनी संबंधित शाखा में हिंदी के प्रयोग के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से हर संभव प्रयास करें और वार्षिक कार्यक्रम में यथा - उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सुनिश्चित करें। 2. मुख्यालय की सभी शाखाओं/ अनुभागों को इस अनुरोध के साथ कि वे ऊपर दी गई मदों में से अपनी शाखा से संबंधित मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए अनुपालन रिपोर्ट सुनिश्चित करें।
2. सभी क.रा.बी. निगम इकाइयों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करें और किसी कार्य में कहीं गतिरोध होने पर मुख्यालय को अवगत कराएं। इसके अतिरिक्त, वार्षिक कार्यक्रम की प्रति अपनी इकाई की अधीनस्थ इकाइयों को भी अनुपालनार्थ भेजें। साथ ही वार्षिक कार्यक्रम जारी किए जाने से संबंधित सूचना मुख्यालय को दिनांक 20.5.2025 तक अवश्य भेजें।
3. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इसे क. रा. बी. निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29.4.2025

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)